सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 29.12.2024

चोरी की योजना बनाते हुये कुल 05 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी करने में प्रयुक्त 01 ऑटो (UP75BT4302), 02 लोहे के जंगले वजन 120 किलो (निर्माणाधीन विद्यालय से चोरी), 01 घण्टा (मन्दिर से चोरी किया गया), एवं चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 28.12.2024 को थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत केन्द्रीय कारागार महोला तिराहा फूलापुर पर चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि जिन्होंने पहले नगला बल्देव गाँव में मन्दिर से घण्टे चोरी किये थे वह व्यक्ति महोला स्कूल के पास ऑटो में बैठकर पुनः चोरी करने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये **पुलिस टीम द्वारा 04 व्यक्तियों को ऑटो सहित महोला स्कूल के पास से समय 03.05 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये ऑटो की तलाशी ली गयो तो उनके कब्जे से कुल 2300/- रूपये, 02 लोहे के जंगले, 01 घण्टा एवं चोरी की घटना कारित करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि

1. **दिनांक 25/26.12.2024 की रात्रि को ग्राम नगला बल्देव के पास बने राधा कृष्ण मन्दिर से घण्टों की चोरी की थी। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 87/2024 धारा 305डी बीएनएस)**
2. **निर्माणाधीन विद्यालय आश्रम पद्दति नगला हीरालाल से 5-6 दिवस पूर्व लोहे के जंगले चोरी किये थे। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 88/2024 धारा 305ए बीएनएस)**

उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग चोरी करके माल को ऑटो में लादकर कबाड़ी आफताब को को बेच देते हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर पूर्व में पंजीकृत अभियोगों में धारा 317() बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी एवं थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 89/2024 धारा 313 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. **गौरव राजपूत पुत्र महेश निवासी ग्राम पचावली थाना फ्रेण्डस कालोनी जनदप इटावा उम्र 22 वर्ष।**
2. **छोटू उर्फ राधाकृष्ण पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम सियापुर बाबू थाना वैदपुरा जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष।**
3. **गोलू उर्फ गोविन्द पुत्र जगदीश बाबू जाटव निवासी ग्राम सियापुर बाबू थाना वैदपुरा जनपद इटावा उम्र 23 वर्ष**
4. **शिवपाल उर्फ अरविन्द पुत्र श्रीराम सिंह निवासी ग्राम सियापुर बाबू थाना वैदपुरा जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष**
5. **कबाड़ी आफताब पुत्र शकील निवासी पुरानी रसूलपुर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद हाल पता ऊसर अड्डा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा उम्र 52 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 89/2024 धारा 313 बीएनएस थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. **02 लोहे के जंगले (चोरी किये गये सम्बन्धित मु0अ0सं0)**
2. **01 पेचकस**
3. **01 प्लास**
4. **01 आरी प्लेड के साथ**

3. **01 घण्टा (चोरी किया गया सम्बन्धित (सम्बन्धित मु0अ0सं0 87/2024 धारा 305डी बीएनएस)**
5. **01 ऑटो (UP 75BT 4302)**
6. **2300/- रूपये नकद ।**

पुलिस टीमः- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थानाध्यक्ष वैदपुरा, उ0नि0 सुबोध सहाय, सुरेन्द्र पाल सिंह, उ0नि0 अरूण कुमार, हे0का0 आविद खाँ, हे0का0 पंकज कुमार, का0 जॉनी कुमार, का0 विपिन कुमार, का0 अनुज कुमार, का0 चिन्टू धामा, का0 उमेश कटारा, का0 अंकित कुमार, का0 चालक रजत कुमार ।